28.6.2019 अधिवक्ता के मार्फत पेश किया । ... अधिवक्ता की बहस इक...
की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस इकतरफा सु...
प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 11.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 335 तादादी 2.52 हैक्टयर वाके रोही मोमासर प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि के रेकार्ड एवं मौका की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी 29.7.2019 तक बनाये रखें ।

अप्रार्थीगणों को अगर इसमें कोई आपत्ति हों तो जरिये असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29.7.2019 को आकर पेश करें । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों । अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 29.7.2019 को पेश हों ।

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

15.7.2019 पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा वाद विड्रा कर लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner